संख्या: 8/2015/1097/26-2-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2015

विषय: **समाजवादी पेंशन योजना की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था एवं अन्तर्विभागीय समन्वय के संबंध में**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-5/15/405/26-2-2015, दिनांक 12 फरवरी, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थी परिवारों की शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

2- समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवार में 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका को अनिवार्य रूप से विद्यालय में नामांकित कराने की व्यवस्था है। इस संबंध में यह निर्देश दिये गये थे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी वेबसाईट http://sspy-up.gov.in से ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय वार लाभार्थियों की सूची डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लेकर परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करायेंगे और उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित लाभार्थी परिवारों में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक-बालिका का शैक्षणिक सत्र 2015-16 में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन हो जाये। यह भी व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक प्रधानाध्यापक चयनित लाभार्थी परिवार के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का विवरण निर्धारित प्रोफोर्मा (शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2015 का संलग्नक-क) पर अप्रैल, 2015 में खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उसे एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर विलंबतम मई, 2015 तक अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कर ली गयी है और वह **दिनांक 11 मई, 2015 को** वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी जायेगी। तदुपरांत संबंधित खण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शिक्षा अधिकारी उक्त सॉफ्टवेयर पर सभी प्रधानाध्यापकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर उपलब्ध कराये गये विवरण को ऑनलाईन फीड कराना प्रारंभ कर सकेंगे।

4- इसी प्रकार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त छात्रों का कक्षावार एवं अनुक्रमांक अनुसार नाम सॉफ्टवेयर पर अंकित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस व्यवस्था से सभी परिषदीय विद्यालयों में **'उपस्थिति पंजिका'** कम्प्यूटरीकृत हो जायेगी और इस कार्य को जून 2015 तक पूर्ण कर लेने के निर्देश दिये गये हैं। एन0आई0सी0 द्वारा ऑफलाईन सॉफ्टवेयर **दिनांक 30 अप्रैल, 2015 तक** वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

5- इस संबंध में शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 द्वारा पत्रांक-डी0ई0/ 1637-41/2014-15, दिनांक 19 जनवरी, 2015 के माध्यम से आवश्यक निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 तथा सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद को निर्गत किये गये हैं।

6- इसके अतिरिक्त समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवार में यदि 15 से 35 आयु वर्ग का कोई निरक्षर सदस्य है, तो उसका नामांकन **साक्षरता मिशन** के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में करने की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी, साक्षरता मिशन (बेसिक शिक्षा अधिकारी) की निर्धारित की गयी है। ऐसे सदस्यों के ब्यौरे को भी एन0आई0सी0 के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर मई, 2015 तक अपलोड कराया जाना है। इस प्रयोजनार्थ एन0आई0सी0 द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कर ली गयी है और वह **दिनांक 11 मई, 2015 को** प्रकाशित कर दी जायेगी। तदुपरांत विवरण को आनलाईन फीड कराने की कार्यवाही संबधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा कराया जायेगा।

7- समाजवादी पेंशन के सभी चयनित परिवार में **जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्ड** अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिये गये थे। यह कार्यवाही मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना था। इसी प्रकार जिन बच्चों का **स्वास्थ्य कार्ड** पूर्व में नहीं बना है और जिनका पूर्व में नियमित टीकाकरण नहीं हुआ है, उनके लिए नवीन टीकाकरण कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 का विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण शिड्यूल अप्रैल, 2015 तक बनाये जाने थे, ताकि मई, 2015 से प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

8- एन0आई0सी0 के द्वारा **जून, 2015 तक** टीकाकरण मॉड्यूल एवं प्रसूति मॉड्यूल का विकास पूर्ण कर लिया जायेगा। तदुपरांत समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के स्वास्थ्य संबंधी विवरण को प्रत्येक माह उक्त सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन फीड कराये जाने की जिम्मेदारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की निर्धारित की गयी है। विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण मॉड्यूल **अगस्त, 2015 तक** विकसित कर लिया जायेगा एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदुपरांत विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित विवरण भी उक्त सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन फीड किया जायेगा।

9- इस संबंध में महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्रांक-अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/2015, दिनांक 04 फरवरी, 2015 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं।

10- इसी प्रकार समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सभी सुविधायें मुहैया कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्य को भी मार्च, 2015 तक सम्पन्न कराया जाना था। इससे संबंधित विवरण भी एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन फीड कराने की कार्यवाही संबधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा कराया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर **दिनांक 11 मई, 2015 को** प्रकाशित कर दी जायेगी।

11- उपरोक्त के अतिरिक्त समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत सभी चयनित परिवारों का विस्तृत **बेसलाईन सर्वेक्षण** ग्रामीण क्षेत्रों में आशा/ए0एन0एम0 के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से संपादित कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

12- समाजवादी पेंशन योजना में वर्ष 2014-15 में जिन लाभार्थियों का भुगतान हो चुका है, उन्हें वर्ष 2014-15 का लाभार्थी माना गया है। अवशेष लाभार्थी जिनका भुगतान दिनांक 31 मार्च, 2015 तक नहीं हो सका है, उन्हें वर्ष 2015-16 का लाभार्थी माना जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रदेश भर में लगभग 33.45 लाख लाभार्थी परिवारों का बेसलाईन सर्वेक्षण कराया जाना है तथा उन्हें शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित सेवायें उपलब्ध करायी जानी है।

13- अतएव यह आवश्यक है कि उपरोक्त प्रस्तरों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन का नियमित अनुश्रवण मुख्य विकास अधिकारी एवं आपके स्तर से किया जाय तथा निर्धारित समय के अंतर्गत कार्य को सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाय। बेसलाईन सर्वेक्षण हेतु निर्धारित धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी को निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवमुक्त की जा रही है।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 8/2015/1097(1)/26-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टहार विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, साक्षरता, उ0प्र0, लखनऊ।
9. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
10. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
12. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उ0प्र0, लखनऊ।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उ0प्र0, लखनऊ।
15. विभागीय पुस्तिका।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।